न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – पुनीता मीणा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या :– 13/ 2023

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र आनाराम जाति जाट नि0 वार्ड नं0 3 जोबनेर, जाटो का मोहल्ला, जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज.

वादी

बनाम

1. दौलतराम पुत्र आनाराम
2. प्रभू पुत्र आनाराम
3. बजरंगलाल पुत्र आनाराम
   समस्त जाति जाट नि0 जाटों का मोहल्ला जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1508/6 रकबा 4.5522 हैक्टर वाकै ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी के पूर्व में ख0नं0 1508/2243/2/1 रकबा 18 बीघा में 1/2 हिस्सा प्रभू प्रतिवादी सं0 2 के नाम अकेले के नाम दर्ज कर दिया गया था जबकि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार थे जिनका प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा निहित था क्योकिं आराजी अकेले प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज कर दिये जाने के कारण राजस्व रिकोर्ड में अकेले प्रतिवादी का नाम दर्ज था। इस कारण उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व एक वाद घोषणा खातेदारी का उनवानी दौलतराम बनाम प्रभू वाद सं0 147/98 प्रस्तुत किया। दायरी दावे के समय वादी नाबालिग था तथा वादी का घर पर बोलता नाम रूडाराम होने के कारण उक्त वाद में रूडाराम दर्ज कर दिया गया जिसके कारण उक्त वाद में राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई तथा वादी को रूडाराम के नाम से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया। जिसका नामान्तकरण सं0 363 स्वीकार कर वादी का नाम धर्मेन्द्र के स्थान पर रूडाराम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में रूडाराम के नाम से दर्ज है। वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार है जो स्व0 आनाराम का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 वादी के भाई है जो उक्त आराजीयात में वादी के साथ सह खातेदार है जिनका नाम उक्त दोनों नामान्तकरणों के जरिये राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया है वादी के राजकीय दस्तावेज जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशनकार्ड, वादी के शिक्षा सम्बन्धित दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र, डाईविंग लाईसेंस इत्यादि में वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार ही नाम दर्ज है किन्तु नामान्तकरण में नाबालिंग अवस्था में धर्मेन्द्र कुमार के स्थान पर रूडाराम नाम दर्ज किये जाने से वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में रूडाराम ही दर्ज चला आ रहा है जो राजकीय दस्तावेजों के विपरित होने से उक्त आराजी से सम्बन्धित परिलाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। वादी को ही घर पर रूडाराम के नाम से जानते है

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तथा रूडाराम व धर्मेन्द्र कुमार वादी से ही सम्बन्धित नाम है जो आनाराम पुत्र नानूराम का पुत्र है तथा आनाराम के धर्मेन्द्र कुमार व रूडाराम नाम से एक ही पुत्र है। वादी का नाम नाबालिग अवस्था मे नामान्तकरण में रूडाराम दर्ज करवा दिये जाने के कारण जमाबन्दी में उक्त इन्द्राज किया गया है। वादी के द्वारा बालिग होने पर जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर उक्त तथ्यों की जानकारी हुई तो वादी ने जमाबन्दी में दर्ज रूडाराम नाम को दुरूस्त कर धर्मेन्द कुमार दर्ज किये जाने के लिए हल्का पटवारी को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत जोरपुरा जोबनेर में दिनांक 20.10.2021 को निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा इस कारण वादी को अपने नाम को दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाना आवश्यक होने से यह वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री चन्दनसिंह ने वकालतनामा व जवाब पेश कर अपने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर अपने जवाब के अतिरिक्त कथन मे अंकित किया कि उक्त खातेदारी दौलाराम बनाम प्रभू वाद सं0 147/98 उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के बरूवें राजीनामा रूडाराम व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 के नाम डिक्री जारी की है जिसका नामान्तकरण सं0 363 डिक्री के आधार पर खातोरी दर्ज की गई। जो सही है घोषणा व दुरूस्ती के वाद से दुरूस्ती नहीं किया जा सकता है। भूमि डिक्री के माध्यम से आयी है कोई भी दादरसी डिक्री में शुद्विकरण या अपील व अन्य कार्यवाही से ही की जा सकती है। इस वाद में वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेमराज ने वकालतनामा व जवाब पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि वादी का वाद डिक्री किये जाने में मिन प्रतिवादी सं0 2 व 3 को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जवाब पेश कर अपने जवाब में अंकित किया कि पटवार मण्डल जोरपुरा जोबनेर के राजस्व ग्राम माच्छरखानी में आराजी खं0नं0 1508/6 रकबा 4.5522 हैक्टर में रूडाराम पुत्र आनन्दीलाल हि0 1/8 राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2076–79 मे दर्ज रिकोर्ड है। पटवार मण्डल जोरपुरा जोबनेर के राजस्व ग्राम माच्छरखानी के नामान्तकरण सं0 363 न्यायालय निर्णय डिक्री श्रीमान् एस.डी.ओ आदेश क्रंमाक आर.ए/2011/1283 दिनांक 16.03.2001 की पालना में प्रभू पुत्र आनन्दीलाल जाति जाट हि0 1/2 के स्थान पर प्रभू पुत्र आनन्दीलाल हि0 1/8, दौलतराम पुत्र आनन्दीलाल हि0 1/8 रूडाराम पुत्र आनन्दीलाल हि0 1/8 नाबालिग रूडाराम, बजरंगलाल संरक्षक जरिए वली माता चन्दीदेवी आनन्दीलाल कौम जाट के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ। नामान्तकरण सं0 363 के इन्दाज के पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2060–63, 2064–67, 2068–71, 2072–75, 2076–79 में प्रार्थी का नाम रूडाराम पुत्र आनन्दीलाल जाति जाट राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने रूडाराम पुत्र आनन्दीलाल की जगह नाम धमेन्द्र कुमार पुत्र आनाराम जाति जाट करवाने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। तनकीयात कायम की गयी।

1. आया विवादित आराजी खं0नं0 1508/6 रकबा 4.5522 हैक्टर वाकै ग्राम माच्छरखानी में स्थित में वादी का 1/8 हिस्सा है।

वादी

2. आया विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में वादी का नाम "रूडाराम" गलत दर्ज हो रखा है जिसको "धर्मेन्द्र कुमार" दुरूस्त करवाने की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है।

वादी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

3. आया नामान्तकरण सं0 363 के द्वारा वादी का नाम रूडाराम दर्ज किया है जिसको घोषणा करवाने का वादी अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी सं0 1

4. अमुतोष

3. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2076–79, 2060–2063, 2064–2067, नामान्तकरण सं0 363 की प्रमाणित प्रति, नगरपालिका मण्डल जोबनेर के पार्षद व अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछडी जाति प्रमाण पत्र, विद्यालय टी.सी., वादी के पिता का मृत्यु का प्रमाण पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र की प्रतिया पेश की है।
4. वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी धर्मेन्द्र कुमार, गवाह ओमनारायण का शपथ पत्र पेश कर वादी के बयान लेखबद्व करवाये गये। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश न करने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गयी।
5. वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खं0नं0 1508/6 रकबा 4.5522 हैक्टर वाकै ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज. में स्थित है। जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा है जो राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी के पूर्व में खं0नं0 1508/2243/2/1 रकबा 18 बीघा में 1/2 हिस्सा प्रभू प्रतिवादी सं0 2 के नाम अकेले के नाम दर्ज कर दिया गया था जबकि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजी थी जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार थे जिनका प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा निहित था क्योकिं आराजी अकेले प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज कर दिये जाने के कारण राजस्व रिकोर्ड में अकेले प्रतिवादी का नाम दर्ज था। इस कारण उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 ने प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व एक वाद घोषणा खातेदारी का उनवानी दौलतराम बनाम प्रभू वाद सं0 147/98 प्रस्तुत किया। दायरी दावे के समय वादी नाबालिग था तथा वादी का घर पर बोलता नाम रूडाराम होने के कारण उक्त वाद में रूडाराम दर्ज कर दिया गया जिसके कारण उक्त वाद में राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई तथा वादी को रूडाराम के नाम से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया। जिसका नामान्तकरण सं0 363 स्वीकार कर वादी का नाम धर्मेन्द्र के स्थान पर रूडाराम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में रूडाराम के नाम से दर्ज है। वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार है जो स्व0 आनाराम का पुत्र है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 वादी के भाई है जो उक्त आराजीयात में वादी के साथ सह खातेदार है जिनका नाम उक्त दोनों नामान्तकरणों के जरिये राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया है वादी के राजकीय दस्तावेज जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधारकार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशनकार्ड, वादी के शिक्षा सम्बन्धित दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र, डाईविंग लाईसेंस इत्यादि में वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार ही नाम दर्ज है किन्तु नामान्तकरण में नाबालिंग अवस्था में धर्मेन्द्र कुमार के स्थान पर रूडाराम नाम दर्ज किये जाने से वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में रूडाराम ही दर्ज चला आ रहा है जो राजकीय दस्तावेजों के विपरित होने से उक्त आराजी से सम्बन्धित परिलाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। वादी को ही घर पर रूडाराम के नाम से जानते है तथा रूडाराम व धर्मेन्द्र कुमार वादी से ही सम्बन्धित नाम है जो आनाराम पुत्र नानूराम का पुत्र है तथा आनाराम के धर्मेन्द्र कुमार व रूडाराम नाम से एक ही पुत्र है। वादी का नाम नाबालिंग अवस्था मे नामान्तकरण में रूडाराम दर्ज करवा दिये जाने के कारण जमाबन्दी में उक्त इन्द्राज

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

किया गया है इसलिए वादी द्वारा उक्त वाद मान्य न्यायालय में पेश किया जो डिक्री किये जाने योग्य है।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य भली भांति प्रमाणित है कि वादी को धर्मेन्द्र कुमार व रूडाराम दोनों नामों से जाना जाता था तथा उक्त दोनो नाम धर्मेन्द्र कुमार वादी से ही सम्बन्धित है वादी के समस्त दस्तावेजात में उसका नाम धर्मेन्द्र कुमार दर्ज है तथा वादी के वार्ड पार्षद व चैयरमेन नगरपालिका मण्डल जोवनेर के द्वारा भी इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है कि वादी को धर्मेन्द्र कुमार व रूडाराम दोनो नाम से जानते है तथा धर्मेन्द्र कुमार व रूडाराम एक ही व्यक्ति है तथा आनाराम का पुत्र है। बचपन मे वादी को रूडाराम के नाम से पुकारने के कारण उसका नाम राजस्व रिकोर्ड में रूडाराम दर्ज हो गया जवकि वादी के समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र में वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार ही दर्ज है इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा यह तथ्य प्रमाणित है कि धर्मेन्द्र कुमार पुत्र आनाराम व रूडाराम पुत्र आनाराम एक ही व्यक्ति है तथा वादी को उक्त दोनो नामों से ही जानते व पहचानते है तथा वादी ने अपने वाद को भली प्रकार से सिद्व किया है एवंम् वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है कि खं0नं0 1508/6 रकवा 4.5522 हैक्टर वाकै ग्राम माच्छरखानी प0ह0 जोरपुरा जोवनेर तहसील जोवनेर जिला जयपुर राज. में रूडाराम पुत्र आनन्दीलाल के स्थान पर **धर्मेन्द्र कुमार पुत्र आनाराम** दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुताविक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जोवनेर को आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 26.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता मीणा) RAS
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर